न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00297

कल्याण आत्मज श्री किशना आयु 70 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम जीवनपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मिश्रीलाल आत्मज श्री छीतरलाल जाति मीणा ।
2. श्री रामधन आत्मज श्री छीतर लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्री मुकेश आत्मज श्री रामधन जाति मीणा ।
   2/2. श्री राकेश आयु 16 वर्ष
   2/3. मनीषा आयु 14 वर्ष नाबालिग पिसरान श्री रामधन जरिये वली माता सरमा बाई पत्नी स्व0 रामधन जाति मीणा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीग अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जीवनपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 144 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का खातेदार वादी है और वादी ही खातेदार की हैसियत से उक्त भूमि पर निरन्तर

काबिज काश्त चले आ रहे हैं । खसरा नम्बर 144 के दक्षिण में लगवा ग्राम जीवनपुरा से ग्राम देवपुरा में आने–जाने का आम रास्ता है और उक्त रास्ते के दक्षिण में लगवा ही आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 05 बीघा है । उक्त भूमि की उत्तरी सीमा पर ग्राम जीवनपुरा से देवपुरा में आने–जाने का रास्ता स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 144 की दक्षिणी सीमा एवं आराजी खसरा नम्बर 138 की उत्तरी सीमा पर रास्ते को अलग करती हुई सदैव से मेड बनी हुई है । इसी प्रकार उक्त भूमियों के खातेदार अपनी मेड की सीमा के अन्दर रहकर ही सदैव से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है और वे अब वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 144 के दक्षिणी हिस्से की रास्ते से लगवा लगभग 10 बिस्वा पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है और रास्ते की भूमि को अपनी कृषि भूमि में मिलाने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 144 के दक्षिणी हिस्से की रास्ते से लगवां लगभग 10 बिस्वा भूमि पर से वादी को बेदखल नहीं करें, स्वयं जबरदस्ती कब्जा नहीं करें तथा वादी के शांतिपूर्ण वैध आधिपत्य एवं उपभोग में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर लें तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जब वादी के अधिवक्ता ने नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया था तो न्यायालय का कर्तव्य था कि वह वादी अपीलान्ट को सूचित करते । वादी अपीलान्ट 74 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है एवं प्रकरण को निरन्तर सन् 2003 से कन्टेस्ट कर रहा है । वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि के लगवां ग्राम जीवनपुरा में आने–जाने का रास्ता है । वादी की खसरा नम्बर 144 की वर्षों पुरानी मेड बनी हुई है तथा बाद में रास्ता है। प्रतिवादी रास्ते की भूमि जो कि वादी की मेड के अन्दर है को अपनी बताकर जबरदस्ती अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जबकि वहॉ पर प्रतिवादी की कोई भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौके पर पक्षकारों की भूमि नाप कराकर दोनों पक्षों एंव रास्ते की भूमि की निशादेही कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायलाय ने पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना तनकी कायम किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा खारिज कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने में त्रुटि की है जबकि वादी के अभिभाषक ने नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया था तो न्यायालय का कर्त्तव्य था कि अपीलान्ट को सूचित करते । वादी के खाते की आराजी से लगवा गॉव जीवनपुरा में आने–जाने का रास्ता है । वर्षों पुरानी मेड बनी हुई है उसके बाद रास्ता है । प्रतिवादी मेड के अन्दर की आराजी को रास्ता बताकर कब्जा करना चाहता है जबकि प्रतिवादी की वहॉ कोई भूमि नहीं है। तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकी कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था । निर्णय को स्पष्ट नहीं लिखा गया है वरन् आदेश तहसीलदार पर छोड दिया गया है जो कि विधि–विरूद्ध है । दिनांक 16.05.2017 से दिनांक 10.07.2017 की तारीख दी गई थी इससे पूर्व ही दिनांक 30.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया जिसकी कोई सूचना वादी को नहीं दी गई । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2002 (2) पेज 975 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया था । चूँकि काउन्टर क्लेम भी था इसलिए 02 अपीलें पेश की जानी चाहिए थीं । अपीलान्ट के द्वारा एक ही अपील पेश की गई है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 के अनुसार वकील वादी ने नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया है उस दिन पत्रावली साक्ष्य काउन्टर क्लेम के लिए नियत की थी जबकि अभिभाषक के द्वारा नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर वादी को नोटिस दिया जाना अनिवार्य था । आरआरटी 2002 (2) पेज 975 यहॉ चस्पा होता है । इसके उपरान्त पत्रावली में प्रतिवादी की बहस सुनी जाकर दिनांक 16.05.2017 आदेश में नियत की गई । दिनांक 16.05.2017 से 10.07.2017 की तारीख नियत की गई और इससे पूर्व ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में न तो उभय पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.09.2008 के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं और पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 12.11.2008 की तारीख दी गई है । जब तनकीयात कायम की जा चुकी हैं तो समस्त दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय सीपीसी की पालना नहीं की है । दिनांक 30.05.2017 को लोक अदालत में मात्र प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति दर्ज की गई है अन्य कोई पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और लोक अदालत की पक्षकारान को कोई सूचना दी गई हो इसका भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

11. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह आपत्ति की है कि चूँकि प्रकरण में काउन्टर क्लेम था इसलिए 02 अपीलें पेश की जानी चाहिए थी । यद्यपि आरआरटी 2019 (2) पेज 896 में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि काउन्टर क्लेम होने की स्थिति में 02 अपीलें पेश की जानी चाहिए परन्तु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ जोधपुर के द्वारा इकबाल बानू एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2008 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा प्रकरण जिसमें काउन्टर क्लेम भी है उसमें एक अपील भी मेन्टेनेबल है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा